भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4679
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर

†4679. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों (एएचपी), जिसमें देखभाल करने वाले, थेरापिस्ट, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और तकनीशियन शामिल है, को कुशल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त पहलों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार और राज्यवार तथा आंध्र प्रदेश में जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर विशेषज्ञों की कमी वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डॉक्टरों को बहु-कौशल प्रदान करने की कोई योजना/पहल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर कोनसीमा जिले में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेषकर कोनसीमा जिले में वर्षवार, विशेषज्ञतावार और राज्यवार तथा आंध्र प्रदेश में जिलावार बहु-कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डॉक्टरों की संख्या कितनी है; और

(च) क्या सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के कौशल उन्नयन, पुनर्कौशलीकरण और बहु-कौशलीकरण को सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश में समर्पित प्रशिक्षण केंद्र या कार्यक्रम स्थापित किए हैं/स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग कार्यबल सुनिश्चित करने हेतु उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 100% वित्त पोषण पैटर्न वाली नर्सिंग सेवाओं के विकास की केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्त पोषित करती है। इस योजना में विशेषज्ञता के क्षेत्र में नर्सों के प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, स्कूलों को सुदृढ़ करने और नर्सिंग स्कूलों का नर्सिंग कॉलेजों में उन्नयन करके अवसंरचना के विकास की परिकल्पना की गई है।

केंद्र सरकार ने संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य वृत्ति आयोग के रूप में एक केंद्रीय विनियामक की स्थापना की है। इसका उद्देश्य देश भर में पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण पद्धति को मानकीकृत करना, शिक्षा के गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में कम गुणवत्ता वाले संस्थानों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना तथा देश को गुणवत्तापूर्ण संबद्ध एवं स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करना है।

(ग) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और मानव संसाधन सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों का है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके समग्र संसाधन दायरे के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

मानव संसाधन कार्यक्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय जैसे दुर्गम क्षेत्र भत्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों तथा डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने और एएनएम के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(च): राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन सहायता कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश में पाँच (5) कौशल प्रयोगशालाएँ हैं।

*****